

गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर-263145

उत्तराखण्ड, भारत

(पूर्वतः उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय)

विश्वविद्यालय प्रबन्ध परिषद में पंजीकृत स्नातक के सदस्य चुने जाने हेतु आवश्यक सूचना

उ0प्र0कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 10(1)(k) के अन्तर्गत गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय की प्रबंध परिषद में इस विश्वविद्यालय के एक पंजीकृत स्नातक को सदस्य बनाये जाने संबंधी प्राविधान है जिसे पंजीकृत स्नातकों द्वारा चुना जाना है। इस प्रक्रिया के प्रथम चरण में समस्त छात्र/छात्राओं, जिन्होंने इस विश्वविद्यालय से Undergraduate अथवा Postgraduate उपाधि प्राप्त की हो, को पंजीकरण हेतु आमंत्रित किया जाता है जिसके लिए आवेदन पत्र कुलसचिव कार्यालय गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर-263145, जिला-ऊधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड से प्राप्त किये जा सकते हैं। डाक द्वारा आवेदन पत्र मांगने हेतु एक लिफाफा जिस पर पत्राचार का पता एवं रू0 5/- मूल्य के डाक टिकट लगे हों कुलसचिव कार्यालय को प्रेषित करें। आवेदन पत्र के साथ पंजीकरण शुल्क रू0 100/- जाँकि वित्त नियंत्रक, गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर के नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया/यूको बैंक/पंजाब नेशनल बैंक, पंतनगर शाखा पर बैंक ड्राफ्ट के रूप में देय है, जमा किया जाना अनिवार्य हैं। पंजीकरण शुल्क विश्वविद्यालय में नकद भी जमा किया जा सकता है। पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र एवं तत्संबंधी अन्य विवरण विश्वविद्यालय बेबसाइट www.gbpuat.ac.in पर भी उपलब्ध है। अपूर्ण एवं पंजीकरण शुल्क के बिना प्राप्त आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे। पूर्व में पंजीकृत अभ्यर्थियों (2005-2006) को पंजीकरण के लिए प्रतिवर्ष नवीनीकरण शुल्क के रूप में रू0 10/- जमा करने होंगे। अन्यथा उनका पंजीकरण रद्द कर दिया जायगा। इस वर्ष पंजीकरण की अंतिम तिथि 30.11.2011 है। विश्वविद्यालय में अध्ययन के दौरान कभी भी (Conduct Probation) आचरण परीक्षा पर रहे व्यक्ति इस हेतु अर्हता से वंचित होंगे। निर्वाचन के द्वितीय चरण की सूचना पंजीकृत स्नातकों को पत्र के माध्यम से दी जायेगी।

कुलसचिव

गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर-263145

उत्तराखण्ड, भारत

(पूर्वतः उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय)

विश्वविद्यालय प्रबन्ध परिषद में पंजीकृत स्नातक के सदस्य चुने जाने हेतु आवश्यक सूचना

उ0प्र0कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 10(1)(k) के अन्तर्गत गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय की प्रबंध परिषद में इस विश्वविद्यालय के एक पंजीकृत स्नातक को सदस्य बनाये जाने संबंधी प्राविधान है जिसे पंजीकृत स्नातकों द्वारा चुना जाना है। इस प्रक्रिया के प्रथम चरण में समस्त छात्र/छात्राओं, जिन्होंने इस विश्वविद्यालय से Undergraduate अथवा Postgraduate उपाधि प्राप्त की हो, को पंजीकरण हेतु आमंत्रित किया जाता है जिसके लिए आवेदन पत्र कुलसचिव कार्यालय गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर-263145, जिला-ऊधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड से प्राप्त किये जा सकते हैं। डाक द्वारा आवेदन पत्र मांगने हेतु एक लिफाफा जिस पर पत्राचार का पता एवं रू0 5/- मूल्य के डाक टिकट लगे हों कुलसचिव कार्यालय को प्रेषित करें। आवेदन पत्र के साथ पंजीकरण शुल्क रू0 100/- जाँकि वित्त नियंत्रक, गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर के नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया/यूको बैंक/पंजाब नेशनल बैंक, पंतनगर शाखा पर बैंक ड्राफ्ट के रूप में देय है, जमा किया जाना अनिवार्य हैं। पंजीकरण शुल्क विश्वविद्यालय में नकद भी जमा किया जा सकता है। पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र एवं तत्संबंधी अन्य विवरण विश्वविद्यालय वेबसाइट www.gbpuat.ac.in पर भी उपलब्ध है। अपूर्ण एवं पंजीकरण शुल्क के बिना प्राप्त आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे। पूर्व में पंजीकृत अभ्यर्थियों (2005-2006) को पंजीकरण के लिए प्रतिवर्ष नवीनीकरण शुल्क के रूप में रू0 10/- जमा करने होंगे। अन्यथा उनका पंजीकरण रद्द कर दिया जायगा। इस वर्ष पंजीकरण की अंतिम तिथि 30.11.2011 है। विश्वविद्यालय में अध्ययन के दौरान कभी भी (Conduct Probation) आचरण परीक्षा पर रहे व्यक्ति इस हेतु अर्हता से वंचित होंगे। निर्वाचन के द्वितीय चरण की सूचना पंजीकृत स्नातकों को पत्र के माध्यम से दी जायेगी।

कुलसचिव

